न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व),

श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 10/2018

1. कर्मजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिंख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र खेम चन्द जाति अरोड़ा निवासी 13 एच तहसील श्रीकरणपुर हॉल आबाद नजदीक महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय केसरीसिंहपुर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

—निर्णय— दिनांक : 07/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एस की जमावंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 13/15 के मु0नं0 58 के किला नं0 1 ता 12 की 12 बीघा नहरी भूमि प्रार्थी कर्मजीत सिहं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 98/55 के मु0नं0 58 के किला नं0 13 ता 25 की 2.744 हैक0 भूमि अप्रार्थी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपने भूमि में आने–जाने के लिए नहरी की पट्डी के साथ बने रास्ता से मु0नं0 58 के दक्षिण में किला नं0 20 व 21 में पश्चिम दिशा में रास्ता की आवश्यकता है। जो नजदीक व सुलभ रास्ता है। जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके वदले प्रार्थी साथ चिपती भूमि या भूमि की कीमत देने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता गत् 4 वर्ष से चला आ रहा है जो मौका पर चालू है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को इस रास्ते स्वीकृत बाबत् कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा की वह रास्ता बन्द करेगा। यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपने भूमि मे आने जाने में परेशानी आयेगी। अत चाहा गया रास्ता न्यायहित में मंजुर किया जाना विधि सम्मत् है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः चक 1 एक्स के मु0नं0 58 के किला नं0 20,21 मे 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जारी नोटिस गलत पता की रिपोर्ट से वापिस प्राप्त हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 का सही पता प्राप्त नही हो रहा है। अतः जरिये अखबार प्रकाशन से तलबी करवाये जाने के आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 के तलबी जरिये अखबार प्रकाशन से करवाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी हेतु दैनिक सीमा सन्देश दिनांक 28.04.2019 में प्रकाशन करवाकर अखबार की प्रति पेश की गई। किसी के पेश नही आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मु0नं0 58 के किला नं0 20,21 मे से 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है । मु0नं0 58 के किला नं0 21 ता 25 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

गैरमुमकिन नहर की जगह में भूमि के साथ चिपता हुआ रास्ता मौका पर चल रहा है। मु0नं0 58 के किला नं0 20 व 21 की भूमि के साथ कुल 2.744 हैक0 नहरी भूमि इस मु0 में राधेश्याम पुत्र सोना चन्द जाति अरोडा साकिन 13 एच के नाम खातेदारी दर्ज है जिसकी भूमि में से प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश है। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी चक 1 एस के मु0नं0 58 के किला नं0 20 एवं 21 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। और इस रास्ते के बदले भूमि या राशि देने को तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एस के मु0नं0 58 के दक्षिण में किला नं0 20 एवं 21 में पश्चिम दिशा में 2–2 विस्वा कुल 4 विस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी इस रास्ता की भूमि के बदले अपनी भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ चिपती भूमि में से 4 विस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को देगा जिसके संबंध में प्रार्थी लिखित में तहसीलदार श्रीकरणपुर को अवगत् करवायेगा एवं इस भूमि के हस्तातरण के पश्चात इस रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। आदेश की एक प्रति अप्रार्थी के नाम पजीकृत डाक से प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{ मूलचन्द लूणिया, आर.ए.एस }
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.07 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: